संख्या- 84/2020 /2525 /71-1-2020-जी-133/2018

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 जून, 2020

विषयः- कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा एवं मेरठ हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/605, दिनॉक 08-06-2020, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/548, दिनॉक 01-06-2020 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/,542 दिनॉक 30-05-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा एवं मेरठ में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26 "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणो के क्रय हेतु रू0 3,05,40,980 की (रू0 तीन करोड़ पॉच लाख चालीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	मेडिकल कालेज का नाम	प्राविधानित धनराशि (रू0 में)	स्वीकृत की जा रही धनराशि (रू0 में)
1-	मेडिकल कालेज, कानुपर	2,50,00,000/-	1,57,10,000
2-	मेडिकल कालेज, मेरठ	2,50,00,000/-	16,63,760
3-	मेडिकल कालेज, आगरा	3,00,00,000/-	1,31,67,220

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानो का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों के निर्धारण, एवं आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- कोविड'-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई है एवं प्रश्नगत उपकरणो हेतु किसी अन्य मद से धनराशि प्रस्तावित तो नही है।

11- उपकरणों के क्रय से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उपकरणों की स्थापना हेतु पर्याप्त स्थान संरक्षित हो एवं संसाधनयुक्त हो।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-41-राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अमित गुप्ता)
सचिव

संख्या:- B4/2020/2525(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ तथा आगरा।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ तथा आगरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, मेरठ तथा आगरा।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–84/2020 /2525/71–1–2020–जी–133/2018
दिनॉक 22 जून, 2020 का संलग्नक

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर

क0	उपकरण का नाम	मात्रा	प्रति नग अनुमानित दर	कुल अनुमानित धनराशि
1.	Multi para Monitor (5 Para)	10	350000/–	3500000/–
2.	Defabrilator with monitor	02	400000/–	800000/–
3.	Work Station	02	3000000/–	6000000/–
4.	Cautery Machine	02	500000/–	1000000/–
5.	Smoke Evacuator System	01	850000/–	850000/–
6.	Neurosurgical Craniotome Set with Electric Drill Machine	01	2000000/–	2000000/–
7.	Controlled Suction Machine	01	500000/–	500000/–
8.	Suction Machine	02	30000/–	60000/–
9.	Fowler Bed with mattress	20	50000/–	1000000/–
	कुल योग–			15710000/–

राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ

Sr. No.	Item Description	Total Qty.	Basic Rate per unit (Rs.)	GST per unit (in Rs.)	Total Unit Rate (Incl. of GST) (in Rs.)	Total Amount (incl. Tax)
01	Ventilator Make: AgVa Healthcare, Model: AV-AD Covid	10 Nos.	1,48,550/-	17,826/-	1,66,376/-	16,63,760/-

राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा

क.	उपकरण का नाम	मात्रा	दर	मूल्य	औचित्य
1.	वाटर कूलर 40/80 लीटर	1 नग	53100.00	53100.00	1. एम0सी0एच0 भवन में आईसोलेशन, बालरोग विभाग में आईसोलेशन, नेत्र रोग विभाग में आइसोलेशन एवं आकस्मिक चिकित्सा विभाग के लिए इन उपकरणों का क्रय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
2.	वाटर कूलर 60/120 लीटर	1 नग	70800.00	70800.00	
3.	वाटर आर0ओ0 सिस्टम	1 नग	99120.00	99120.00	
4.	वाटर डिस्पेन्सर	01	12000.00	12000.00	
5.	लीलिन कार्डस	06 नग	15000.00	90000.00	
6.	इन्स्टुमेण्ट ट्राली	06 नग	10000.00	60000.00	
7.	फोटो स्टेट मशीन	02 नग	100000.00	400000.00	
8.	वाटर कूलर 20 लीटर	02 नग	30000.00	60000.00	
9.	वाटर प्यूरीफायर 08 से 10 लीटर	02 नग	15000.00	30000.00	
10.	वाटर डिस्पेन्सर	01 नग	12000.00	12000.00	

U.O.S.O

11.	काफी बेडिंग मशीन	02 नग	20000.00	40000.00	2. चिकित्सा शिक्षकों, नर्सों एवं पेरामेडिकल स्टाफ द्वारा पी.पी.ई. किट पहनकर 8 से 10 घंटे भीषण गर्मी (45 डि.से.) तापमान में निरन्तर कार्य करते रहने से पसीना एवं चक्कर आनेसे उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है एवं कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जिनके लिए एअर कंडीशनर क्रय किया जाना अति आवश्यक है।
12.	रेफ्रिजरेटर 300 लीटर	03 नग	20000.00	60000.00	
13.	टेलीविजन 32 इन्च मरीज़ों के	02 नग	25000.00	50000.00	
14.	टेलीविजन 21 इन्च मरीजों के	11 नग	20000.00	220000.00	
15.	मोबाइल सेनिटाजेशन मशीन	04 नग	100000.00	400000.00	
16.	फोगिंग मशीन	04 नग	3500.00	14000.00	
17.	प्लास्टिग डस्टवीन विद आटोमैटिक कवर 40 लीटर (चार रंगों में)	240 नग	700.00	168000.00	
18.	वाटर कूलर विद आर0ओ0 सिस्टम 40 से 80 लीटर	02 नग	53100.00	106200.00	
19.	ई0पी0ए0बी0एक्स0 और सी0सी0टी0वी0 कैमरा का सेन्ट्रल मानीटर सिस्टम एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना बाल रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग	03 यूनिट	150000.00	450000.00	
20.	वाटर डिस्पेन्सर	01 नग	12000.00	12000.00	
21.	स्ट्रेचर ट्राली सहित	10 नग	22000.00	220000.00	
22.	इन्स्ट्रुमेण्ट ट्राली	01 नग	10000.00	10000.00	
23.	हास्पीटल बैड	50	10000.00	500000.00	
24.	मेल फीमेल यूरिन पॉट एण्ड बेडपेन	24	100.00	2400.00	
25.	किक बकेट्स,	100	100.00	20000.00	
26.	सक्शन मशीन	24	10000.00	240000.00	
27.	आइ आर थर्मामीटर	12	3500.00	42000.00	
28.	डिजीटल पल्स आक्सीमीटर फिंगर प्रोब	12	1300.00	15600.00	
29.	ड्रिप स्टेण्ड	100	1000.00	10000.00	
30.	वाल फेन अल्मोनार्ड	20	5000.00	100000.00	
31.	ए0सी0 विण्डो 2 टन विद् स्टवलाइजर	20 नग	28000.00	560000.00	
32.	स्प्लिट ए0सी0 2 टन	24 नग	40000.00	960000.00	
33.	ओटो क्लेव	04	95000.00	380000.00	
34.	बाईफेसिक डेफीब्रिलेटर विद् मानीटर	01 नग	25000.00	500000.00	
35.	बाईपेप	02 नग	250000.00	500000.00	
36.	वेन्टीलेटर	02 नग	1600000.00	3200000.00	
37.	स्मोक एवूलेटर	01 नग	1000000.00	1000000.00	
38.	डायलेसिस मशीन	01 नग	800000.00	800000.00	
39.	आर0ओ0 प्लान्ट फोर डायलेसिस यूनिट	01 नग	700000.00	700000.00	
40.	विडियो ब्रोंकोस्कोप विद् विडियो प्रोसेसर एंड लाइट सोर्स	01	1000000.00	1000000.00	
			योग–	**1,31,67,220.00**	

(एस0 पी0 सिंह),
अनु सचिव

U.O.S.O